सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

## पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 44 / 2018 अपील (RCMS/2018/00049)
पंजीयन दिनांक — 27.03.2018
निर्णय दिनांक — 10.07.2018

1. श्री चुन्नीलाल पिता लोगरलाल बलाई, निवासी नोखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री हरीराम पिता लोगरलाल बलाई, निवासी नोखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

—अपीलान्टस्

**बनाम**

1. प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
2. श्री गणेशलाल पिता नन्दा बलाई, निवासी नोखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री अम्बालाल पिता नन्दा बलाई, निवासी नोखा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.एस. चुण्डावत — वकील रेस्पोडेंट सं.—1

अपील अर्न्तगत धारा—90—ए राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का निर्णय दिनांक 17.07.2013

निर्णय

दिनांक 10.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—90—ए राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का निर्णय दिनांक 17.07.2013 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम शहर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शहर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में कृषि भूमि स्थित है जिसके आराजी संख्या 1445 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी संख्या–1446 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1447 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1938/1447 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, कुल किता–4 कुल रकबा 0.3600 हैक्टयेर भूमि स्थित है और उक्त भूमि जो कि लोगरलाल, गणेशलाल, अम्बालाला पिता नन्दा बलाई की संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी भूमि थी। प्रस्तुत अपील अनुसार उक्त भूमि के तीनों व्यक्ति खातेदार होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। श्री लोगरलाल की मृत्यु होने उपरान्त उसके पुत्र श्री चुन्नीलाल एवं हरीराम, उनके पिता की कृषि भूमि के बारे में रेस्पोडेंट संख्या 1 के यहा पता करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि का पुर्नग्रहरण आदेश धारा 90बी दिनांक 17.07.2013 को पारित किया जा चुका है। उल्लेखनिय है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 ने आम सूचना दिनांक 09.07.2013 को दैनिक समाचार पत्र उदयपुर एक्सप्रेस में प्रकाशित करा 7 दिवस में आपत्तियां मांगी गई थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने से प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उक्त आराजीयात की भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का आदेश दिनांक 17.07.2013 को पारित किया गया। जिससे व्यथीत होकर उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट–1 उपस्थित। उभय पक्ष की बहस दिनांक 03.07.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि स्वर्गीय लोगरलाल, गणेशलाल, अम्बालाल पिता नन्दा बलाई के खातेदारी की उक्त भूमि कभी भी समर्पित नहीं की गई, केवल मात्र नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने बिना किसी अधिकार के तीनों व्यक्तियों की सहमति के बिना और बिना किसी दस्तावेज के जो पुर्नग्रहण आदेश दिनांक 17.07.2013 को पारित किया, वह आदेश कानूनन निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी दस्तावेज का कोई अवलोकन नहीं किया गया और धारा 90बी अन्तर्गत प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की गई है। अपीलान्ट द्वारा पटवारी से खाते की नकल प्राप्त हेतु सम्पर्क किये जाने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई और नकल प्राप्त होते ही अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 अन्तर्गत मयाद अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किया गया।

दौराने कार्यवाही रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील मिथ्या व गलत आधार पर गठित कर पेश की गई है एवं 15 वर्षों के बाद

अपीलान्ट ने प्रस्तुत की है, जिसे प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जावें। अपीलान्ट ने अपील मयाद में लेने हेतु पटवारी से जानकारी होने का उल्लेख किया है। जहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि तथाकथित पटवारी को कोई शपथ पत्र साथ में प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी 15 वर्ष पूर्व से ही थी, चूंकि अब भूमि की मालियत बढ़ गई है एवं अपीलान्ट की नेकनियती खराब हो गई है, इस कारण अपीलान्ट भू–माफियाओं के चक्कर में आकर मयाद कन्डोन किये जाने हेतु असत्य एवं झूठें आधार पर उक्त अपील प्रस्तुत की है, जिसे खारिज फरमाये जाने का आदेश किये जाने बाबत अनुरोध किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या–1 ने बहस में बताया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, ले आउट प्लान एवं अन्य दस्तावेज एवं मौके स्थल के अवलोकन उपराक्त 90–ए की कार्यवाही नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गई। इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र उदयपुर एक्सप्रेस में प्रकाशित करा आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित अवधि में कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने से प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा की गयी 90–ए की कार्यवाही नियमानुसार की गई है, जिससे अपील अपीलान्ट निरस्त योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट–3 का तर्क है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील आदेश के 15 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई। इस पर रेस्पाडेंट संख्या–3 द्वारा पटवारी का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं मयाद प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा पुनर्ग्रहण आदेश से पूर्व अखबार में आपत्तियॉ आमंत्रित की गई थी, लेकिन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से नियमानुसार एवं विधि सम्मत आदेश जारी किया गया। आदेश खातेदारों/भूखण्डधारियों के द्वारा प्रस्तुत सर्मपण पत्र, ले–आउट प्लान एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन एवं परिक्षण उपरान्त पारित किया गया है। उपरोक्त विवचेन से अधीनस्थ न्यायालय नगर विकास प्रन्यास का आदेश दिनांक 17.07.2003 विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिससे हम उक्त आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर